रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 303] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 27, 1974/अग्रहायण 6, 1896

No. 303] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 27, 1974/AGRAHAYANA 6, 1896

Secretariat Library Govt. of India

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 27th November 1974

G.S.R. 667(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 65-Customs, dated the 30th April, 1973, namely:—

In the said notification, for the words "cellulose nitrate sheets", the words "cellulose nitrate sheets and cellulose nitrate films" shall be substituted

[No. 86/F. No. 355/11/74-Cus.I]

B. C. RASTOGI, Dy. Secy

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1974

सा० का० नि० 667 (अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 65—सीमा-शुल्क, तारीख 30 अप्रैल, 1973 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, "सेल्यूलोज नाइट्रेट शीटों" शब्दों के स्थान पर "सेल्यूलोज नाइट्रेट शीटों और सेल्यूलोज नाइट्रेट फिल्मों" शब्द रखे जाएंगे।

[सं० 86/फा० सं० 355/11/74—सीमा-शुल्क I]

ब्र० च० रस्तोगी, उप-सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974